

अनापत्ति प्रमाण पत्र (राजस्व)

- 1- आवेदक का नाम व पिता/पति का नाम जसवंत प्रोपर्टी एंड डेवलपर्स प्रा. लि.
- 2- आवेदक का पता प्लॉट नं. 8 रसपुरा काठोनी झाली बस स्टॉप रोड नरेंद्रपुर
तहसील व जिला झाली
- 3- राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि का स्वामी विमल कुमार जैन प्लॉट नं. 10 झाली
- 4- अनापत्ति प्राप्त किये जाने वाला भूखण्ड संख्या/क्षेत्रफल मौजा हसरीगढ़ झाली स्थित गारा
खैर 1225 के कुल भाग में 0.55 हे. या 1570 वर्गमीटर
- 5- अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता के स्वामित्व सम्बन्धी साक्ष्यों का विवरण एवं उनके अनुसार स्वामित्व अरिपे बजौर
वेनामा दिनांक - 05.07.2010
- 6- मौके के अनुसार चाही गयी अनापत्ति से सम्बन्धित भूखण्ड/प्लॉट का विवरण एवं चौहद्दी मौजा हसरीगढ़ झाली
स्थित गारा से 1225 के कुल भाग में 1570 वर्गमीटर चौहद्दी विवरण
पूरव - जमीन आवेदक पश्चिम - जमीन आवेदक उत्तर - जमीन आवेदक
दक्षिण - जमीन दौलत
- 7- उक्त भूखण्ड / प्लॉट का मौके के अनुसार कब्जा है तो किस स्वरूप में कब्जा है तथा कब्जा सरकारी / अर्द्धसरकारी है
या किसी व्यक्ति का निजी है, स्पष्ट विवरण अरिपे का सलान वेनामा उत्तर कब्जा है
- 8- उक्त भूखण्ड / प्लॉट की अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से सरकारी / अर्द्धसरकारी / अथवा किसी केंद्रीय संस्थान पर गलत
प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, यदि पड़ेगा तो किस रूप में पड़ेगा। नहीं सलान शपथपत्र अनुसार उक्त भूमि
के बावत किसी भी आपत्ति के कोई भी धाद विचार नहीं है।
- 9- स्पष्ट आख्या आवेदक के अधिपति की मौके पर अर्द्धसरकारी झाली
अवेदक ने मौजा हसरीगढ़ स्थित गारा से 1225 के कुल भाग में
रकबा 1570 वर्गमी. अरिपे वेनामा दिनांक 05.07.2010 के उप
विषय है राजस्व अभिलेखों में अरिपे आवेदक को नाम दर्ज किया गया नहीं है
कुछ की गयी भूमि नकशा हीलिंग बम व धारा 7 में बांटा
आरक्षित झाली की भूमि नहीं है नकल खेती ललान है गीपे
लेवने अधिपति है।

हो लेखपाल क्षेत्र हंमारीगढ़ राजस्व निरीक्षक सीतागढ़ नरेंद्रपुरा
लेखपाल क्षेत्र हंमारीगढ़ राजस्व निरीक्षक सीतागढ़ नरेंद्रपुरा
नोट- उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
मौका का नजरी नक्सा एवं स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख संलग्न करें।

तहसीलदार
झाँसी

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
झाँसी

0.031240
X 0.11240
6.15005

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 218696202102105

ग्राम क्रमांक : 218696 ग्राम का नाम / परगना : हंसारी गिर्द (झांसी) तहसील : झांसी जनपद : झांसी फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1

खतौनी क्रम संख्या	जातेदार का नाम / निगा एति संरक्षक का नाम / निवासी स्थान	शान्ति अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	जाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	जातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश झूझकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

00173	रमेशचन्द्र राय / हरदास राय / नि.रस वहार कालौनी नन्दनपुरा झांसी 0.31446 विजयकुमार सरावगी / दामोदरदास सरावगी / 0.157 नि.जानकीपुरम झांसी विजयकुमार राय / वारेलाल / नि.रसवहार कालौनी नन्दनपुरा झांसी 0.236 नरेन्द्रकुमार राय / मजबूतसिंह राय / नि.दीनदयाल नगर खाती बाबा झांसी लक्ष्मीनारायण वैश्य / भगवानदास / नि.372/21 सिविल लाइन झांसी रामप्रसाद / अजुदवी / नि.गवालटोली हंसारी छोटेताल / अजुदवी / नि.गवालटोली हंसारी लक्ष्मनसिंह / अजुदवी / नि.गवालटोली हंसारी शिवचरन / अजुदवी / नि.गवालटोली हंसारी जय बाबा प्रोपर्टीज एण्ड / डेवलपर्स प्रा.लि.आफिस / क्यू 8रस बहार कालौनी झांसी द्वारा डायरेक्टर मनीष राय / रमेशचन्द्र राय / क्यू 8रस बहार कालौनी झांसी विनोद कुमार जैन / लक्ष्मीचन्द्र जैन / लहरगिर्द 0.157	1406फ.	1227	1.7160 1.252			1424फ. व आदेश श्रीमान न्या. अपर कलेक्टर झांसी वाद सं. 115/15-16 दि. 18-03-16 सरकार बनाम जयबाबा प्रोपर्टीज डायरेक्टर रमेशचन्द्र राय। ग्राम हंसारी गिर्द तह. व जिला झांसी उपरोक्त आदेश के क्रम में वादी के गाटा सं. 748/50.46 ए. के सापेक्ष वदोबस्ती भूचित्र में कम बनी आकृति रकवा 21.00 ए. की पूर्ति गाटा सं. 1227 के वेशी रकवा 21.00 ए. काटकर सड़क के पार पूर्व दिशा में 21.00 ए. समाविष्ट किया जाता है, इस प्रकार के संशोधन से गाटा सं. 748 व 1227 की आकृति दर्ज रकवा के अनुसार भूचित्र में संशोधित हो जाती हैं तदनुसार भूचित्र में संशोधित किया जाये। परवाना धारा 28 एल.आर. एक्ट। ह.अप.आर.के. दि. 26-08-16।	
-------	--	--------	------	-----------------	--	--	---	--

प्रमाणित किया जाता है कि
रु० 15/- (पन्द्रह) नगद प्राप्त
कर नकल खतौनी जारी की गई।

उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेरीफिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



सहम अधिकारी: VIKASH VERMA

तहसील: झांसी जन्मपद: झांसी

दिनांक एवं समय: 22-02-2021 10:35:03

① यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उप कोष 112 31/01/10
 नाम 15/11/10
 314/10
 दिनांक 02-11-10
 दिया झाँसी

लेखपत्र 15/11/10
 मनीष राय डायरेक्टर जय बाबा प्रोपर्टी एण्ड डेबल
 पुत्र श्री रमेश चन्द्र राय
 पेशा व्यापार
 निवासी क्यू 8 रसबहार कालोनी झाँसी

कायदा व न्याय
 उप निबन्धक द्वितीय
 झाँसी

विक्रय पत्र
 1,850,000.00/ 3,128,000.00
 प्रतिफल मालियत
 श्री मनीष राय डायरेक्टर जय बाबा प्रोपर्टी एण्ड डेबल
 पुत्र श्री रमेश चन्द्र राय
 व्यवसाय व्यापार
 निवासी स्थायी क्यू 8 रसबहार कालोनी झाँसी
 अस्थायी पता
 ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 5/7/2010 समय 1:13PM
 बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ताक्षर
 राजनाथ राम
 उप निबन्धक द्वितीय
 झाँसी
 5/7/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने के लिये व प्राप्त धनराशि प्रलेखानुसार उक्त
 विक्रेता
 श्री विनोद कुमार जैन
 पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन
 पेशा व्यापार
 निवासी लहरगिर्द झाँसी

क्रेता
 श्री मनीष राय वहेशियत डायरेक्टर जय बाबा प्रोपर्टी एण्ड डेबल
 पुत्र श्री रमेश चन्द्र राय
 पेशा व्यापार
 निवासी क्यू 8 रसबहार कालोनी झाँसी



ने निष्पादन स्वीकार किया।
 जिनकी पहचान श्री नवदीप श्रीवास्तव
 पुत्र श्री स्व एम नारायण
 पेशा व्यापार
 निवासी 1300/5 खातीबाबा झाँसी
 व श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान
 पुत्र श्री बाबूलाल चौहान
 पेशा व्यापार
 निवासी 432 ईसाई टोला कमल सिंह कालोनी झाँसी
 ने की।



प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लगाये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
 राजनाथ राम
 उप निबन्धक द्वितीय
 झाँसी
 5/7/2010

विनायक

विनायक

विनायक

अपेक्षा

1211/10

NT
31



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484214

Handwritten signature/initials.

BN-488

D-8-14

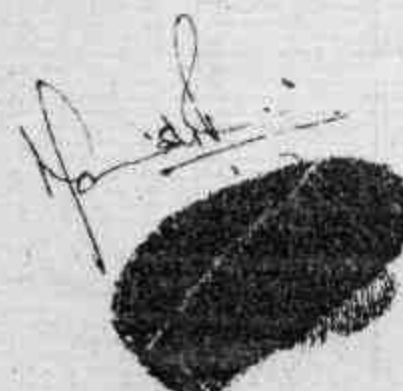


(1)

विशेष सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के भाग-2(क-1) (IV) के पृष्ठ सं. 17 के क्रम संख्या 258 में लिखित कम्प्यूटर कोड 1039 वाकै मौजा हंसारीगिर्द ब्लाक बबीना तहसील व जिला झाँसी के अनुसार झाँसी-ललितपुर रोड़ के किनारे के नम्बरान की दर ₹5,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर। उक्त आराजी झाँसी-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी होने के कारण सम्पत्ति के मूल्यांकन में 10% की वृद्धि की गयी है।

स्टाम्प का कुल योग - 2,19,000/-
वस्ताधिज का प्रकार - बैनामा

1532
6/07/10
5 कि
2.214
श्री
4211
52-10



नम्वर 78 हनुमान झोसी
 नाम वि. वा. जोषी
 02-7-10
 02-7-10
 रम बहादुर कालोडी झोसी

Registration No. 4211

विक्रेता

Year: 2,010

Book No.

0101 विनोद कुमार जैन
 लक्ष्मी चन्द्र जैन
 लहरगिर्द झोसी
 व्यापार



37



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484213

(2)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित
मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य
विक्रय मूल्य

} - 31,28,000 / -

मौज

- 18,50,000 / -

ब्लाक

- हंसारीगिर्द

सम्पत्ति का प्रकार

- बबीना

पन की इकाई

- कृषिकीय

सम्पत्ति का क्षेत्रफल

- हेक्टेयर

- 0.379 हेक्टेयर

सड़ की स्थिति

- विक्रित आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग झाँसी-ललितपुर से
लगी हुई एवं आबादी से 100 मीटर से अधिक दूरी पर
स्थित है।

पेड़ों का मूल्यांकन

- कोई पेड़ नहीं है।

बोरिंग/कुआँ/अन्य

- कोई कुआँ नहीं है।

विशेष टिप्पणी



[Handwritten signature]



उप जेकडिया, झाँसी
 नम्बर 15526 कोत 11/10/10
 नाम जय बाबा ओपट्टी जेठ डेबलसिडा-लि. झाँसी का.श.
 पता 814 पेटर म. रसबहार का.लीनी झाँसी
 दिनांक 02-7-10 उप जेकडिया, झाँसी रसबहार का.लीनी झाँसी

क्रेता

Registration No. : 4211

Year : 2010

Book No. : 1

0201 मनीष राय वहीशियत डायरेक्टर जय बाबा प्रोपर्टीस एण्ड डेबलस
 रमेश चन्द्र राय
 वरू 8 रसबहार कालीनी झाँसी
 व्यापार



33
भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

Rs.
15000

INDIA

484212

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

प्रथम पक्ष की संख्या - एक

द्वितीय पक्ष की संख्या - एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष-

श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री लख्मीचन्द्र
जैन निवासी- लहरगिर्द परगना व जिला
झाँसी (पेन नं. ABVPJ5597M)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष-

जय बाबा प्रोपर्टीस एण्ड डेबलपर्स प्रा० लि०
ऑफिस-क्यू-8, रस बहार कॉलोनी, झाँसी
द्वारा डायरेक्टर मनीष राय पुत्र श्री रमेश
चन्द्र राय निवासी-क्यू-8, रस बहार कॉलोनी,
झाँसी (AACCJ2215M)





34



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484211

(4)

सम्पत्ति का विवरण — आराजी भूमिधरी वाकै मौजा हंसारीगिर्द ब्लाक बबीना

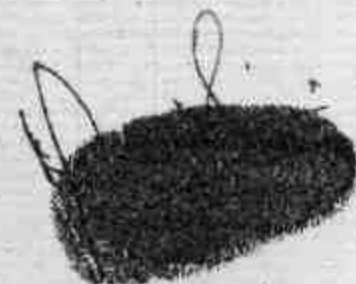
परगना व जिला झाँसी जिसके आराजी नम्बरान व रकवा जैल में दर्ज है। विक्रित आराजी

राष्ट्रीय राजमार्ग झाँसी-ललितपुर से लगी हुई एवं आबादी से 100 मीटर से अधिक दूरी पर

स्थित है। दस्तावेज हाजा के साथ आराजी मुवैया का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित

आराजी नम्बरान वरंग लाल से दर्शाये गये हैं। जो बैनामा का अंश भाग है विक्रित आराजी

में कोई पेड़ कुँआ आदि नहीं है न ही औद्योगिक प्रयोजन की भूमि है विक्रित आराजी कृषि



35

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

पन्द्रह हजार रुपये



FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

Rs.
15000

484210

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

योग्य भूमि है। आराजी मुवैया नजूल नगर पालिका, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की

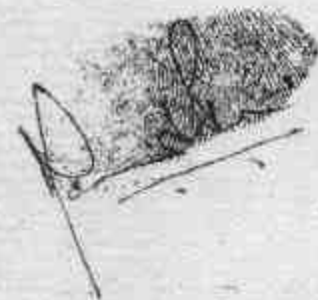
सम्पत्ति नहीं है। विक्रित आराजी विक्रेता ने संयुक्त रूप से जरिये बैनामा दिनांक 10-10-2005

ई० श्री नारायण दास पुत्र स्व० श्री अजुब्दी से खरीद की थी। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब

रजिस्ट्रार ऑफिस में फोटोस्टेट प्रति पुस्तक संख्या I खण्ड 1413 के पृष्ठ सं. 277 / 292 पर क्रम

संख्या 5205 दिनांक 13-10-2005 ई० दर्ज है। जिसमें विक्रेता अपना 1/2 हिस्सा वय कर

रहा है।



उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 218696	ग्राम का नाम / परगना : हँसारी गिर्द (झांसी)	तहसील : झांसी	जनपद : झांसी	फसली वर्ष : 1424-1429	भाग : 1	उद्धरण क्रमांक : 218696202104158
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भाूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आजा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनोंक सहित और आजा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
जय बाबा प्रोपर्टीज एण्ड डेवलपर्स / प्रा.लि. आफिस क्यू 8 / रस वहार कालौनी झांसी	1422फ.	1224/2	1.2140			
द्वारा डायरेक्टर मनीष राय / रमेशचन्द्र राय / क्यू 8 रस वहार कालौनी झांसी	1422फ.	1227/2	1.2140			
श्रीमती रेखा गुप्ता / पत्नी जे.पी. गुप्ता / 811/5ए. शक्तिनगर कालौनी झांसी						
दो कुल क्षेत्रफल-दो दशमलव चार दो आठ शून्य (हेक्टेयर)	2	2.4280	₹ 0.00	0		13
Digitally Signed by: Pannalal						
 सहाय्य अधिकारी: VIKASH VERMA तहसील: झांसी जनपद: झांसी दिनांक एवं समय: 08-04-2021 10:45:38 यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।						

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

पन्ध्र हजार रुपये

FIFTEEN
THOUSAND RUPEESRs.
15000

भारत



INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484209

(6)

खाता सं०	आराजी नम्बर	रकवा	किस्म जमीन	सिंचित/असंचित
00052	1220 मि०	0.356 हे०	राकर सोयम	सिंचित
	1234 / 1 मि०	0.344 हे०	राकर सोयम	सिंचित
	1218 मि०	0.190 हे०	राकर सोयम	सिंचित
	1218	0.024 हे०	राकर सोयम	सिंचित
	1227 / 1 मि०	1.303 हे०	राकर सोयम	सिंचित

कुल 5 किता रकवा 2.217 हे० में से रकवा 0.222 हेक्टेयर यानि अपना

सिद्धि सुन्दर

म. सु. सु.

(37)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484208

(7)

सम्पूर्ण हिस्सा वय किया गया है। व आराजी नम्बर 1227 रकवा 1.716 हे० में

से सह-खातेदार का रकवा छोड़कर यानि रकवा 1.572 हेक्टेयर में से रकवा

0.157 हेक्टेयर यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया गया है। इस प्रकार कुल

रकवा 0.379 हेक्टेयर वय किया गया है। विक्रित आराजी में विक्रेता का कोई भी अंश

शेष नहीं बचा है। जिसका नया लगान 7 रुपया 20 पैसा सालाना है।

विनोद कुमार



[Handwritten signature]

38

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

पच्चीस हजार रुपये

FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

Rs.
15000



INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484207

(8)

विक्रय मूल्य- 18,50,000/- अठारह लाख पचास हजार रुपया जो जरिये 4
किता चैक क्रमशः मु0 4,62,500/- रुपया जरिये चैक नं.
221702 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स दिनांक 10-9-2010 व
मु0 4,62,500/- रुपया जरिये चैक नं. 221703 ओरियन्टल
बैंक ऑफ कॉमर्स दिनांक 10-10-2010 व मु0 4,62,500/-
रुपया जरिये चैक नं. 221704 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
दिनांक 10-11-2010 व मु0 4,62,500/- रुपया जरिये चैक
नं. 221701 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स दिनांक 10-08-2010
पूर्व प्राप्त कर लिया है।

विनोद कुमार



राज्य UTTAR PRADESH

484206

(9)

बी. व. मूल्य - 31,28,000/- इकत्तीस लाख अट्ठाईस हजार रुपया

से अधिक नहीं है। जिसमें भूमि की कीमत 28,43,000/-

रुपया है व 10 प्रतिशत अतिरिक्त मालियत 2,85,000/-

रुपया है इस प्रकार कुल मालियत 31,28,000/- पर

स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।



UTTAR PRADESH

484205

(10)

विनिता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है।

मैं कि विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील

हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक

साफ व चरी है न ही आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में

विनिता मुख



र प्रदेश UTTAR PRADESH

484204

(11)

विचाराधीन है न ही आराजी किसी जमानत, डिग्री, ऋण आदि में मगफूल है। चूँकि मुझ

विक्रेता को घरु कार्य हेतु रुपयों की जरूरत है अतः मैं विक्रेता अपनी उपरोक्त आराजी

वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त वय व फरोख्त करता हूँ, कब्जा दखल मालिकाना

विमोद कुमार



47



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484203

(12)

आज ही की तारीख से क्रेता उपरोक्त को वखूवी मौके पर करा दिया है अधिकार आप क्रेता

आराजी मुवैया में स्वयं काशत करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काशत करावें, कागजात

विजय कुमार

विजय कुमार

43



र प्रदेश UTTAR PRADESH

484202

(13)

मालिकान से मेरा नाम खारिज कराके अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें

गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें। आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा व मेरे

मिर्चोद बुद्धा



मिर्चोद बुद्धा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

043881

(14)

वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स

की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा का

विनोद कुमार



[Handwritten signature]



US



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 35648

(15)

देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता रहूँगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य

विनोद कुमार



Handwritten signature of the seller.



46



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 356481

(16)

सही-सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। यदि विक्रेता या क्रेता द्वारा तहरीरशुदा दस्तावेज में किन्हीं तथ्यों को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त कृत्य का

किन्नेट कुमार



[Handwritten signature]



47



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 080897

(17)

सम्पूर्ण दायित्व मुकदमों आदि जैसे फौजदारी, दीवानी, माल, राजस्व, स्टाम्प एक्ट के वादों का

दायित्व क्रेता व क्रेता का ही होगा, सब रजिस्ट्रार, वकील (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, या

विनोद कुमार



R. Shukla



48



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 080898

(18)

जरिये वकील चित्र प्रमाणित के गवाह का नहीं होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व

क्रेता व क्रेता का ही होगा। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के

विनोद कुमार



[Handwritten signature]



49



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 080899

(19)

आधार पर तथा बिना किसी जबर या दबाव के यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे

वक्त जरूरत पर काम आवें।

विनोद कुमार



[Handwritten signature]



आज दिनांक 05/07/2010 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 2795
पृष्ठ सं. 19 से 64 पर क्रमांक 4211
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

10/6/10
H. M. J.

राजनाथ राम

सहपु निबन्धक द्वितीय



कमांक नः.....
रजि० वास्ते

किता पत्त
त. एसरी गिं
बिंकेता विंगे कुमाटजे
केता मनीष टाय
दी

समाट स्टोड्या

नक्शा-नजरी

53

बिक्रेता का नाम श्री विनोद कुमार जैन 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित
 क्रेता का नाम अमरका प्रोपर्टी लिमिटेड अमरका सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र
 मौजा हंसोरी गिद 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लालरंग)
 भूमि, नम्बर - 9220 मि०, 9238/9 मि०, तहसील, परगना व जिला झाँसी
 9226, 9297 मि०, 9226/9 मि०, से प्रदर्शित है।
 9297



बिक्रेता
 हंसोरी गिद

हंसोरी गिद

MOHD. KAMRAN KHAN
 D/MAN (CIVIL)
 J. D. A. JHANSI
 OFF. - 19, ALIGOLE,
 JHANSI

(5)

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए ए के अनुपाल हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम विनोद कुमार शर्मा S/O. रामचन्द्र शर्मा

पता

बाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विनोद कुमार

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम श्री. राजेश कुमार S/O. रमेश चन्द्र शर्मा

पता

बाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



उक्त प्रपत्र निष्पादित-प्रलेख का अनिवार्य अंग माना/समझा जायेगा

निष्पादक

प्रस्तुतकर्ता विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

निष्पादक